प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में,

राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

यादि क्रमांकः 13/89–2016 अ0स्था0–I (1)
दिनांक पंचकूलाः– 02.02.2017

विषयः **सामान्य स्थानान्तरण–जेबीटी व मुख्य शिक्षक**

उपरोक्त विषय के निदेशालय के यादि क्रमांक 13/89–2016 अ0स्था0–I (1) दिनांक 16.12.2016 व 13.01.2017 (प्रति संलग्न) की निरन्तरता में ।

जैसे कि आपको विदित है कि सामान्य स्थानान्तरण के समय लगभग एक हजार जेबीटी अध्यापकों द्वारा अपना प्रोफाईल न भरने, लगभग 200 अध्यापकों द्वारा अपना प्रोफाईल में अपना पदनाम गलत भरने, वर्तमान विद्यालय का नाम गलत भरने तथा 1655 अध्यापकों द्वारा स्थानान्तरण के लिये अपनी इच्छा के जोन व विद्यालयों चयन न करने के कारण ऐसे अध्यापकों का या तो स्थानान्तरण नही हो पाया या फिर उनको स्थानान्तरण नीति अनुसार anywhere की श्रेणी में स्थानान्तरित किया गया है । इसके अतिरिक्त कुद अध्यापकों द्वारा स्थानान्तरण के उपरान्त अपना प्रोफाईल भरने व अप्रुव करवाने के कारण कुछ अध्यापक जिनका स्थानान्तरण उस अध्यापक द्वारा ग्रहित पद को खाली मानते हुए उस विद्यालय में हुआ था, अपने स्थानान्तरित विद्यालय में कार्य ग्रहण नही कर पाये है । इन सभी समस्याओं को दूर करने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

1 जिन अध्यापको द्वारा अभी तक अपना प्रोफाईल नही भरा गया है, वे सभी अध्यापक अपना प्रोफाईल अगले दस दिन के अन्दर अन्दर भरकर अप्रुव करवायेंगे । इसके लिये यदि उनके वर्तमान विद्यालय, जिसमें वह कार्यरत है, में रिक्त पद नही है तो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हे अस्थाई रूप से, केवल प्रोफाईल अप्रूव करने के लिये, ऐसा विद्यालय अलाट किया जाये जहां पर एमआईएस के आधार पर रिक्त पद उपलब्ध हो । इस प्रकार के शिक्षकों की सूची उनके आई0डी नम्बर के साथ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संकलित रूप से निदेशालय को भेजेंगे ताकि अगले स्थानान्तरण के समय उन्हे स्थानान्तरण में शामिल करना सुनिश्चित किया जा सकें ।

2 जिन अध्यापकों द्वारा अपने पदनाम की बजाय अन्य पदनाम जैसे मुख्य शिक्षक द्वारा जेबीटी0 के विरूद्व व जेबीटी द्वारा मुख्य शिक्षक के पद के विरूद्व अपना प्रोफाईल अप्रूव करवाया गया है । ऐसे अध्यापकों को दो श्रेणियों में बांटा जाये– एक वह जिनका स्थानान्तरण नही हुआ है, दूसरे

वह जिनका स्थानान्तरण पिछले स्थानानतरण ड्राईव में हुआ है । इन दोनो श्रेणियों के अध्यापकों की सूची बनाकर निदेशालय को भेजी जाये । इसके साथ ही यदि ऐसे अध्यापकों के लिये उनके वर्तमान विद्यालय में उनके मूल पद की रिक्ति नहीं है तो ऐसे विद्यालय का नाम भेजें जहां पर उनके मूल पद की रिक्ति उपलब्ध हो ताकि उनको ऐसे विद्यालय में दर्शाते हुए उनका प्रोफाईल ठीक करवाया जा सके । यह ध्यान रहे कि शिक्षका आई डी व विद्यालय का विद्यालय कोड अवश्यमेव व सही अंकित हो ।

3 जिन अध्यापकों को **anywhere** की श्रेणी में स्थानान्तरित किया गया है उन अध्यापकों को आगामी स्थानान्तरण ड्राईव में भाग लेने का मौका दिया जायेगा ।

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला

<u>रजिस्टर्ड</u>

प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5,
पंचकुला (हरियाणा)।

सेवा में

हरियाणा के सभी
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

यादी क्रमांक 13/89–2016 अ0स्था0–I (1)
दिनांक, पंचकुला। 13/1/2017

विषयः– **जे0बी0टी0**, सी एण्ड वी, टी0जी0टी एंव अतिथि अध्यापकों के **MIS Employee Profile** ठीक करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

इस संबंध में आपको निर्देश दिए जाते है कि मार्च के आखिरी सप्ताह तक उक्त वर्गो के सभी अध्यापक/अध्यापिकाए जिनका MIS/Employee Profile अपूर्ण है अथवा गलत है उसको ठीक करवांए जो किन्ही कारणों से अबतक ठीक नही करवा पाए थे और जिनका अभी तक भी MIS Approve नही हुआ था उनका भी MIS Approve करवांए। उक्त निर्देशों की दृढता से पालना की जाए।

12/1/17
संयुक्त निदेशक अ0स्था0–I
कृते निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला।
दिनांक पंचकूला।

पृ0क्रमांक0–सम–

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. Technology Officer, IT Cell
2. Superintendent HRM-I/HRM-II
3. Superintendent C&V

संयुक्त निदेशक अ0स्था0–I
कृते निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

D:\NEW PT-I WORK\Midand etters\Hindi Letter.doc

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन सैक्टर–5 पंचकूला।

सेवा में

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
हरियाणा राज्य।

यादी क्रमांकः– 13/89–2016 अ0स्था0–I(1)
दिनांक, पंचकूला

Subject: सामान्य स्थानान्तरण वर्ष 2016 जे0बी0टी0 अध्यापकों एवं मुख्य शिक्षको को 2nd drive हेतु अवसर प्रदान करने हेतु।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

निदेशालय द्वारा वर्तमान में किए गए सामान्य स्थानान्तरण के समय MIS Portal के अनुसार कुछ त्रुटिया रह गई थी । जिन्हे दूर करने के लिए जे0बी0टी0 अध्यापकों को सामान्य स्थानान्तरण के लिए 2nd drive हेतु अवसर प्रदान किया जाना है। विभाग द्वारा निम्न बिन्दुओं के आधार पर 2nd drive हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है:–

1. प्रथम Transfer drive में स्थानान्तरित हुए अध्यापको को MIS पर On Line कार्यभार मुक्त एवं कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित किया जाये ताकि 2nd drive हेतु सही रिक्ति सूचि निकाली जा सकें । इसके अतिरिक्त समायोजित किये गये अतिथि अध्यापको को भी MIS पर On Line कार्यभार मुक्त एवं कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

2. अर्न्तजिला स्थानान्तरण जारी की गई सूचि में MIS Portal अनुसार अध्यापक को उसी जिले में दिखाकर उसी जिले में with in district के स्टैशन अलाट कर दिए गए थे जबकि उस अध्यापक का स्थानान्तरण अन्य जिले में हो गया था । इसके साथ–2 अर्न्तजिला पारस्परिक स्थानान्तरण में पारस्परिक किए गए अध्यापकों को एक ही जिले में दर्शाया गया है जबकि उन्हे अलग–2 जिले में दर्शाया जाना चाहिए था (सूचि संलग्न)।

3. Manual प्रकिया के अनुसार स्थानान्तरण किए गए अध्यापकों को 2nd drive में अनिवार्य रूप से हिस्सा लेना होगा (सूचि संलग्न)।

4. जिन अध्यापकों को अपनी choice की जगह अलाट न होकर anywhere in the Station अलाट हुए थे वह भी 2nd drive में अपनी इच्छानुसार हिस्सा ले सकते है (सूचि संलग्न)।

5. जिन अध्यापकों के MIS Portal पूरा नही हुआ था उन्हे पूरा करवाने हेतु सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पोर्टल खुलने पर उन अध्यापकों का रिक्त पदों से MIS Data पूरा करवाएं व अनुमोदन करवाएं तथा ऐसे अध्यापक अनिवार्य रूप से 2nd Drive में हिस्सा लेंगे ।

D:\ET-1 Branch\SARITA\ASHOK\draft\Hindi draft.docx

6. **मांडल संस्कृति स्कूल से स्थानान्तरित हुए अध्यापकों के स्थानान्तरण रद्व करके उन्हे वापिस मांडल संस्कृति स्कूल में भेजने तथा उनकी जगह पर आए अध्यापकों को भी 2nd drive में अनिवार्य रूप से हिस्सा लेना होगा ।**

7. विकलांग अध्यापकों एवं अन्य विशेष परिस्थितियों में हुए स्थानान्तरण वाले अध्यापकों को भी 2nd drive में अवसर प्रदान किया गया है ।

ऐसे सभी अध्यापकों की सूची विभाग **की web-site (Harprathmik.gov.in)** पर **उपलब्ध है।** अतः सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए जाते है कि ऐसे सभी जे0बी0टी0/मुख्य शिक्षक का MIS Profile पूर्ण करवाए जो अब तक भरा नहीं गया अथवा अनुमोदित नहीं हुआ। यदि MIS पर ऐसे विद्यालय का पद रिक्त दर्शाया गया है तो उसे जिले के अन्य किसी भी उपलब्ध रिक्त पद से भरा जाए। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए जाते है कि सभी लम्बित मामले 2nd drive में डील किए जाएगें जोकि PGT की 2nd drive पूर्ण होने उपरान्त कार्यान्वित होगी।

सयुक्त निदेशक अध्यापक स्थापना–1
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठाकन क्रमांकः सम

दिनांक पंचकूला । 16/12/2016

इसकी एक प्रति Technology Officer, IT Cell को भेजकर अनुरोध है कि कृप्या इन सूचियों को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें । चूंकि इन सूचियों के अनुसार ही जे0बी0टी0/मुख्य शिक्षकों को 2nd drive में अवसर प्रदान किया जाना है ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

सयुक्त निदेशक अध्यापक स्थापना–1
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।